

झारखण्ड सरकार  
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग

1638  
16/05/2016

संकल्प

विषय: झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार का गठन के सम्बन्ध में।

पूर्ववर्ती बिहार राज्य के विभाजन के फलस्वरूप उत्तरवर्ती झारखण्ड राज्य में भी प्राधिकार यथा- 1. राँची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, राँची 2. आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर एवं 3. बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बोकारो एवं वर्ष 2006 में विभागीय अधिसूचना संख्या-116 दिनांक 13.07.2006 द्वारा संशोधित झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार का गठन किया गया।

2. इन औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकारों के पृथक स्वरूप और इनके कार्यों के सफलतापूर्वक निष्पन्न करने में इन्हें पुनर्गठित कर किस प्रकार इनसे बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएं, की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सम्प्रति इन औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकारों में मौलिक और वित्तीय उपलब्धियाँ कम हैं। इनके आंतरिक स्त्रोतों से प्राप्त राजस्व इत्यादि नगण्य हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चारों प्राधिकारों को एकीकृत करते हुए एक प्राधिकार गठित किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई।

3. अतः वर्तमान में गठित चारों प्राधिकारों यथा- रियाड़ा, बियाड़ा, अयड़ा एवं सोनभद्र को एकीकृत करने संबंधी संश्लेष आर्पांक-808 दिनांक 03.05.2016 को मंत्रिपरिषद् को दिनांक 03.05.2016 के बैठक में मद संख्या-06 के रूप में प्राप्त स्वीकृति के क्रम में नए प्राधिकार को एकीकृत करते हुए प्राधिकार का नाम "झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार" (Industrial Area Development Authority) किया जाता है।

4. झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार को निम्न प्रकार से पुनर्गठित (restructure) किया जाएगा --

4.1. एकीकृत प्राधिकार में पदेन अध्यक्ष मुख्य मंत्री होंगे। प्राधिकार में प्रत्येक निदेशक का पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव स्तर का होगा। इस पद पर पदस्थापना/निर्भूषण सरकार द्वारा की जाएगी।

4.2. झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार में कुल पाँच निदेशक (1,2,3 एवं 4) होंगे। निदेशक 1,2,3 सरकार के द्वारा नामित/मनोनित किये जाएंगे तथा निदेशक 4 का नियुक्तन-सह-वित्त विभाग झारखण्ड द्वारा नामित/मनोनित पदाधिकारी होंगे, जो अपर नामित

अथवा उनसे उच्च स्तरीय पदाधिकारी होंगे। उद्योग निदेशक एकीकृत प्राधिकार के निदेशक 5 होंगे।

- i. एकीकृत प्राधिकार में सचिव के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन किया जाएगा जो संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी होंगे।
- ii. एकीकृत प्राधिकार का मुख्यालय राँची में होगा।
- iii. राँची, आदित्यपुर, बोकारो एवं दुमका स्थित वर्तमान प्राधिकारों के कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालयों में परिवर्तित हो जाएंगे एवं इनके प्रमुख मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी होंगे।
- iv. राँची मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के अतर्गत एक-एक कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जो सचिव स्तर के पदाधिकारी होंगे।
- v. विस्तृत हितधारक परामर्श एवं प्राधिकार स्तर पर जनप्रतिनिधित्व हेतु विधानसभा/संसद के प्रतिनिधियों का निदेशक के रूप में नियुक्ति की जाएगी तथा निदेशक मंडल में उनकी नियुक्ति होने पर उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा दिया जाएगा।
- vi. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सीधे प्रबन्ध निदेशक सह उपाध्यक्ष झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (Jharkhand Industrial Area Development Authority) को प्रतिवेदित करेंगे। झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की प्रस्तावित संगठनात्मक संरचना अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।
- vii. वर्तमान कर्मचारियों एवं राज्य/कार्य हित में विभिन्न प्राधिकारों के वर्तमान कर्मचारी एवं कैंडिडेट का विलय एक एकीकृत कैंडिडेट में किया जाएगा।

5. वर्तमान में चारों प्राधिकारों को समाप्त किया जाता है तथा राँची चारों प्राधिकारों को क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में नामित किया जाता है। पुनर्गठित क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रबन्ध निदेशक को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में जाना जाएगा जिनकी नियुक्ति/पदस्थापन सरकार द्वारा की जाएगी, जब तक सरकार द्वारा नियुक्ति/पदस्थापन नहीं की जाती है तब तक पूर्व से पदस्थापित प्रबन्ध निदेशक/सचिव, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कार्यरत रहेंगे।

6. झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार गठन के पश्चात वर्तमान प्रबन्ध निदेशक-सह-उपाध्यक्ष कर्मचारियों के पुनर्गठन से संबंधित प्रस्ताव देंगे। पुनर्गठन होने तक वर्तमान कर्मचारी अपने स्थान पर कार्य करते रहेंगे।

7. सभी चारों प्राधिकारों की परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व पूर्वोक्त प्राधिकार में निहित होंगे।

8. आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नियमन-2015, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नियमन-2015, सन्थाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नियमन-2015 एवं राँची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नियमन-2015 से संबंधित ऊगश संकल्प संख्या- 3207 से 3210 दिनांक 16.10.2015 निर्गत हैं। सभी चारों प्राधिकारों का नियमन एक ही प्रकार का है। अतः आदित्यपुर, बोकारो, सन्थाल परगना एवं राँची औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकार नियमन-2015 के स्थान पर झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नियमन पढ़ा जाएगा। साथ ही उक्त संकल्प संख्या-3207 से 3210 दिनांक 16.10.2015 एवं अधिसूचना संख्या- 3207 (A) से 3210 (A) दिनांक 16.10.2015 में निम्नलिखित कड़िकाओं को निम्न रूप से संशोधित/परिगर्जित किया जाता है :-

- i. संकल्प की कड़िका-12 में एक अतिरिक्त कड़िका 1.2 (r) को जोड़ा जाता है 1.2 (r) Chief Executive Officer means Chief Executive Officer of the concerned Regional Office of the Authority
- ii. Chapter-VI की कड़िका 6 ii (f), 10 (iv), 11, 23 (ii), 25(i) में अंकित Managing Director के स्थान पर Chief Executive Officer पढ़ा जाय।
- iii. 15 (i), 15 (iii), 17, 18 (i), 18 (ii), 19 (i), 19 (ii), 20 (i) (d), 20 (ii), 20 (iii), 21 (ii), 21 (iv), 22(i), 23 (i), 23(v), 24 (i) में अंकित Managing Director of the Authorities के स्थान पर Chief Executive Officer of the Region पढ़ा जाय।
- iv. संकल्प की कड़िका 20(ii) में अंकित "The Allottee on being dissatisfied with the order of the Authority may file an appeal to the Department of Industries, Government of Jharkhand within one month and the State Government shall, after due consideration dispose it of within two months from the date of receipt of the appeal" को विलोपित करते हुए "The allottee/applicant on being dissatisfied with the order of the Chief Executive Officer may file an appeal to the Managing Director of the Authority within one month from the order of the Chief Executive Officer of the region. Managing Director shall, after due consideration

dispose of within two months from date of receipt of the appeal. The second appeal shall lie with Secretary/ Principal Secretary/Additional Chief Secretary of the Department of Industries, Mines and Geology, Govt. of Jharkhand and such appeal should be made within one month of the order of the Managing Director, Secretary/Principal Secretary/ Additional Chief Secretary, of the Department of Industries, Mines and Geology shall dispose of such application within three months from date of the receipt of the appeal." समाहित किया जाता है।

9. उक्त सशोधित नियमन झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नियमन 2016 के रूप में जाना जाएगा, जो इस संकल्प का भाग होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण के सूचनार्थ झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की व्यवस्था की जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(उदय प्रताप सिंह)  
अपर मुख्य सचिव

आपांक 1638 / राँची, दिनांक 16/05/2016

2/30वि0/प्राधिकार 07/2007

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, राँची को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि ई-गजट में यथाशीघ्र प्रकाशित करने की व्यवस्था की जाय।

अपर मुख्य सचिव

आपांक 1638 / राँची, दिनांक 16/05/2016


2/30वि0/प्राधिकार 07/2007


प्रतिलिपि: सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ राज्यपाल सचिवालय/महालेखाकार, झारखण्ड/श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/रागी विभाग/रागी विभागाध्यक्ष/रागी प्रगण्डतीय आयुक्त/रागी उपायुक्त उद्योग विभाग के अन्तर्गत सभी औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकारी/रागी जिला उद्योग केन्द्र/संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग/उद्योग निदेशक, अपर उद्योग, संयुक्त उद्योग निदेशक एवं उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

13/5/2016

**Organizational Structure of  
Jharkhand Industrial Area Development Authority**



  
 Additional Chief Secretary,  
 Department of Industries, Mines and Geology  
 Jharkhand, Ranchi